



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE
INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour &
Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL
OFFICE,
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-
208005
PANCHDEEP BHAWAN,
SARVODAYA NAGAR, KANPUR-
208005
Phone: 0512-2217957
Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-A-36/23/13/2/2021-Estt

दिनांक- 16-07-2025

परिपत्र

प्रवर श्रेणी लिपिक संवर्ग के वह कार्मिक जिनकी नियुक्ति कारुण्य आधार/ स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत हुई है, को सूचित किया जाता है कि मुख्यालय पत्र सं. A-12023/2/2023-Exam. दि. 14.07.2025 में दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 20.08.2025 को छःमाही कम्प्यूटर स्किल टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया जाना है। अतः सभी संबंधितों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए दि. 18.07.2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक ई-मेल anurag.kumar@esic.nic.in तथा alokk.rai@esic.nic.in पर अपना आवेदन कम्प्यूटर स्किल टेस्ट परीक्षा का माध्यम (हिन्दी/ अंग्रेजी) सहित अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त न होने की दशा/स्थिति में आपको उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जैसा कि कारुण्य आधार/ स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गतनियुक्त किए गए कार्मिकों को जारी नियुक्ति प्रस्ताव में भी उल्लिखित है कि "नियुक्ति की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर आफिस सूट व डाटाबेस सहित कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान अर्जित करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।"

उत्तर प्रदेश क्षेत्र के समस्त उप क्षेत्रीय कार्यालय/ कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल/ क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के कार्यालयाध्यक्ष व शाखाधिकारी तथा क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अंतर्गत आने वाले सभी शाखा कार्यालयों/औषधालय सह शाखा कार्यालयों के शाखा प्रबंधक/प्रभारी अपने अधीनस्थ कारुण्य आधार/ स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत नियुक्त प्रवर श्रेणी लिपिक संवर्ग के समस्त कार्मिकों को इसका अवलोकन करा दें तथा इसकी पुष्टि हेतु हस्ताक्षर प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

यह परिपत्र क्षेत्रीय निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(अनुराग कुमार)
उप निदेशक (स्थापना-1)

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, नोएडा/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर/ बरेली/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. समस्त शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीन समस्त शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर के सभी नोटिस बोर्ड।